

Enclosure

संख्या- 3158/15-7-16 1541/1995

प्रश्न,

श्री ज्योतिराव गांगुली,
संपन्न विधायक,
उत्तर प्रदेश शासन ।

13/10/95
13/10/95

सेवा में,

विधायक,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
एन 2 सड़क, इन्दौर,
प्रति विचार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

तदनुजः दिनांक: 9 अक्टूबर, 1995

विषय:- महात्मा ज्योतिराव फुले पब्लिक स्कूल जमदोज पुरम गाजीपुर, ती.वी.एस.डी.ए. संख्या 2 नई दिल्ली से सम्बन्धित अनुदान प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि महात्मा ज्योतिराव फुले पब्लिक स्कूल जमदोजपुरम गाजीपुर को ती.वी.एस.डी.ए. नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित शर्तिकाओं के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 11। विद्युत तय की पर्याप्त सोलाइटी का समस्त सम्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 12। विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 13। विद्यालय में कम से कम दस प्रशिक्षित स्थापन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 14। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/देशिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीर्तिन कार टि इंडियन स्कूल सर्विसेज इन्वॉल्वमेंट नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 15। संस्था शैक्षिक एवं शिष्योत्तर कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेगे ।
- 16। कर्मचारियों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अज्ञातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे ।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/परिष्कारों में रखा जायेगा।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन वा परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था को सम्बद्धता दिये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि -

11। विद्यालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को पेंशन शतनादेश दिनांक 30-11-91 की व्यवस्थानुसार/मानकानुस्य दिया जा रहा है तथा पेंशन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा है।

12। संस्था के भूमि/भवन पर उसके विधिक स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट है। भवन में आवश्यकतानुस्य निर्धारित माप के शिक्षण कक्ष विद्यालय प्रयोग शाला व अन्य कक्ष उपलब्ध है।

13। संस्था पर एक ही धर्मित/परिवार/वरिवार के सदस्यों का नियंत्रण नहीं है।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धुंध या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

। ज्योति बांगुली ।
संयुक्त सचिव ।

पुं.सं. 3158111/15-7-1995 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सिवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।


2- सहायक उप शिक्षा निदेशक वाराणसी।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर।

4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।

5- प्रधानक, महात्मा ज्योतिराय फुले पब्लिक स्कूल जयदीनपुर गाजीपुर।

आज्ञा है,



। ज्योति बांगुली ।
संयुक्त सचिव ।